<u>जनपद बाराबंकी</u>

दिनांक 02.06.2022

थाना रामनगर पुलिस ने दो शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद तमंचा व लूट के 6600/- रुपये बरामद-

वादी मो0 तौफीक पुत्र मो0 रफीक निवासी कस्बा व थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी ने थाना रामनगर पर सूचना दी कि दिनांक 30.05.2022 को मैं अपने दोस्तों के साथ कार से रामनगर आ रहा था तभी 04-05 अज्ञात लोगों ने नथनापुर लोधपुरवा पुल पर 8200/- रुपये लूट लिए। उक्त सूचना पर थाना रामनगर पर मु0अ0सं0 327/2022 धारा 394 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना से सम्बन्धित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के आदेश पर थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इंटेलीजेन्स एवं डिजिटल डेटा की मदद से आज दिनांक 02.06.2022 को अभियुक्तगण 1.मनोज उर्फ मनोहर पुत्र जयश्री 2.चन्दर उर्फ राजेश पुत्र नाथूपाल निवासीगण नयापुरवा मजरे रामपुर महासिंह थाना रामनगर जनपद बाराबंकी को लोधपुरवा के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त मनोज उर्फ मनोहर के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद कारतूस बरामद हुई। उक्त सम्बन्ध में थाना रामनगर पर मु0अ0सं0 330/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियोग में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-</u>

1.मनोज उर्फ मनोहर पुत्र जयश्री निवासी नयापुरवा मजरे रामपुर महासिंह थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।
2.चन्दर उर्फ राजेश पुत्र नाथूपाल निवासी नयापुरवा मजरे रामपुर महासिंह थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त मनोज उर्फ मनोहर-</u>

1. मु0अ0सं0 170/2015 धारा 302 भादवि थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।
2. मु0अ0सं0 256/2015 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।

<u>बरामदगी-</u>

1. 6600/- रुपये नकद
2. एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद कारतूस 315 बोर

<u>पुलिस टीम:-</u>

1. थानाध्यक्ष श्री संतोष सिंह थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।
2. उ0नि0श्री विशुन कुमार शर्मा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।
3. का0 जीऊत यादव, का0 प्रदीप सिंह थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।